न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ़ दिनांक 08.03.2025

राजस्व वाद संख्या : 131 / 2024
निर्णय दिनांक : 08.03.2025 दायर दिनांक – 19.12.2024
जीसीएमएस संख्या– 2024 / 265

राजेन्द्र भार्गव पुत्र जसु राम जाति भार्गव निवासी ग्राम चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरू ....वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान ....प्रतिवादी

दावा बाबत राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती

उपस्थित :–
1. श्री रतनलाल साद एडवोकेट वादी
2. प्रतिवादी पेरोकार राज उपस्थित।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला चूरू सत्यमेव जयते

—:**निर्णयः**—

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी के संयुक्त खातेदारी कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग के खेत खाता संख्या 20 के खसरा संख्या 21 तादादी 0.6828 हैक्टेयर, ख.नं. 03 तादादी 0.8598 हैक्टेयर व ख.नं. 90 / 22 तादादी 0.7207 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल तादादी 2.2633 वाके रोही नरबदाबास तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है। जिन्हे वाद में वादगत भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

वादी का नाम दर्ज करते वक्त पटवारी हल्का ने गलती से वादी का बोलता नाम राजकुमार पुत्र जसुराम के नाम खातेदारी अंकित कर दिया जबकि वादी का वास्तविक नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र जसुराम है जो कि वादी के पहचान के दस्तावेजात आदि में अंकित है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम अंकित होने के कारण वादी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिए वादी को आवश्यक हो गया कि वह राजस्व रिकॉर्ड में गलत चले आ रहे अंकन को दुरस्त करवाये। जिसका वह कानूनन अधिकारी है।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत में वादी का नाम राजकुमार पुत्र जसुराम खातेदार दर्ज है जबकि वादी के दस्तावेजों में नाम राजेन्द्र भार्गव पुत्र जसुराम जाति भार्गव है। राजकुमार व राजेन्द्र भार्गव दोनों एक ही व्यक्ति हैं अलग–अलग नहीं है। अतः

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में राजकुमार पुत्र जसुराम के स्थान पर राजेन्द्र भार्गव पुत्र जसुराम किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड की फोटो प्रति, आयकर विभाग का पहचान प्रमाण पत्र, राशन कार्ड की फोटो प्रति, जनाधार कार्ड की फोटो प्रति, बैंक पास बुक प्रति आदि दस्तावेजात में भी वादी का नाम राजेन्द्र भार्गव पुत्र जसुराम अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

दावा वादी राष्ट्रीय लोक अदालत में अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत खेत खाता संख्या 20 के खसरा संख्या 21 तादादी 0.6828 हैक्टेयर, ख.नं. 03 तादादी 0.8598 हैक्टेयर व ख.नं. 90/22 तादादी 0.7207 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल तादादी 2.2633 वाके रोही नरबदाबास तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की कृषि भूमि की खातेदारी में वादी का नाम राजकुमार पुत्र जसुराम जाति भार्गव निवासी चाडवास के स्थान पर राजेन्द्र भार्गव पुत्र जसुराम जाति भार्गव निवासी चाडवास खातेदार दर्ज किया जावे। तद्नुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 08.03.2025 को टंकित करवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत – राष्ट्रीय लोक अदालत सुजानगढ़ दिनांक 08.03.2025

राजेन्द्र भार्गव बनाम राज. सरकार

दावा बाबत रेकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा न0 131 सन 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु हाजरी श्री रतनलाल साद एड. मिनजानिब मुद्दई .. मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है दावा वादी राष्ट्रीय लोक अदालत मे अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत खेत खाता संख्या 20 के खसरा संख्या 21 तादादी 0.6828 हैक्टेयर, ख.नं. 03 तादादी 0.8598 हैक्टेयर व ख.नं. 90/22 तादादी 0.7207 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल तादादी 2.2633 वाके रोही नरबदाबास तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की कृषि भूमि की खातेदारी में वादी का नाम राजकुमार पुत्र जसुराम जाति भार्गव निवासी चाडवास के स्थान पर राजेन्द्र भार्गव पुत्र जसुराम जाति भार्गव निवासी चाडवास खातेदार दर्ज किया जावे। तदनुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

चीज ....मुबलिग .... बाबत ....
खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ....
.... को अदा करे।

दिया मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख** 08 **माह** 03. 2025

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

मुदई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत		
बाबत इजराय हुक्मनामा			इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये